महोबा पुलिस

दिनांक- 17.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 739/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 17.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 17.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 740/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने 01 किलो 80 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में थाना श्रीनगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष थाना श्रीनगर द्वारा गठित टीम उ0नि0 संदीप विमल मय हमराह हे0का0 अमरेश सिंह, का0 साहबलाल बिंद एवं का0 विनय कुमार द्वारा भण्डरा रोड पर निर्माणाधीन पुल के पास, बहद कस्बा श्रीनगर जनपद महोबा, से 01 नफर अभियुक्त पुष्पेन्द्र यादव पुत्र देवीदीन यादव उम्र करीब 36 वर्ष निवासी बिलखी तिगैला कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक बोरी में 01 किलो 80 ग्राम सूखा गांजा बरामद किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना श्रीनगर पर मु0अ0सं0 161/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पुष्पेन्द्र यादव पुत्र देवीदीन यादव उम्र करीब 36 वर्ष निवासी बिलखी तिगैला कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

बरामदगी विवरण-

1. एक बोरी में 01 किलो 80 ग्राम सूखा गांजा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संदीप विमल, थाना श्रीनगर जनपद महोबा
2. हे0का0 अमरेश सिंह, थाना श्रीनगर जनपद महोबा
3. का0 साहबलाल बिंद, थाना श्रीनगर जनपद महोबा
4. का0 विनय कुमार, थाना श्रीनगर जनपद महोबा

दिनांक- 17.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 741/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ - थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई।

म0उ0नि0 मालती साहू मय उ0नि0 राधा मोहन त्रिवेदी, का0 रितेश कुमार एवं का0 भरत सिंह द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट की तामीला के क्रम में 01 वारण्टी अभियुक्त वासुदेव पुत्र बृजलाल चौबे, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम खिरियाकला, थाना अजनर, जनपद महोबा को ग्राम खिरियाकला, थाना अजनर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को सम्बन्धित मु0सं0 3914/2021, धारा 406/352/504/506 भादवि0, अ0सं0 963/2010, थाना अजनर, जनपद महोबा के प्रकरण में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, महोबा के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

वासुदेव पुत्र बृजलाल चौबे, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम खिरियाकला, थाना अजनर, जनपद महोबा

सम्बन्धित अभियोग-

मु0सं0 3914/2021, धारा 406/352/504/506 भादवि0, अ0सं0 963/2010, थाना अजनर, जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 मालती साहू, थाना अजनर, जनपद महोबा
2. उ0नि0 राधा मोहन त्रिवेदी, थाना अजनर, जनपद महोबा
3. का0 रितेश कुमार, थाना अजनर, जनपद महोबा
4. का0 भरत सिंह, थाना अजनर, जनपद महोबा

दिनांक- 17.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 742/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शराब, जुआ, गांजा व अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 17.09.2026 को उ0नि0 देवेन्द्र ओझा मय हमराह हे0का0 राजाराम पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र, शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था, रोकथाम जुर्म जरायम, तथा संदिग्ध वाहन/व्यक्ति/वस्तु की चेकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त हरीश सैनी पुत्र कमलेश सैनी, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम चतरपुरा, थाना बास दयाल, जिला कोटपुतली-बहरोड़, राजस्थान को तहसील चरखारी की बाउण्ड्रीवाल, मोहल्ला ज्येन्द्रनगर, कस्बा व थाना चरखारी, जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज देशी तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 202/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

हरीश सैनी पुत्र कमलेश सैनी, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम चतरपुरा, थाना बास दयाल, जिला कोटपुतली-बहरोड़, राजस्थान

बरामदगी-

- 01 अदद नाजायज देशी तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 देवेन्द्र ओझा, थाना चरखारी, जनपद महोबा

2.हे0का0 राजाराम पाल, थाना चरखारी, जनपद महोबा

दिनांक- 17.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 743/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर-थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने कुल 08 किलो 240 ग्राम अवैध गांजा के साथ 03 नफर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उ0नि0 सनय कुमार द्वारा मय हमराह पुलिस बल के पठा रोड पर पावर हाउस के पहले जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के पास बनी पुलिया से 03 नफर अभियुक्तगण 1. दिनेश गुप्ता पुत्र रमाशंकर गुप्ता उम्र 40 वर्ष निवासी मुहल्ला जारीगंज थाना कोतवाली नगर महोबा हाल निवासी पीली कोठी के सामने थाना कोतवाली नगर महोबा, 2. अर्जुन साहू पुत्र दुलीचन्द्र साहू उम्र 42 वर्ष निवासी मुहल्ला आलमपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा एवं 3. अस्सू उर्फ अशोक रैकवार पुत्र ऊदल रैकवार उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम इटवा थाना लवकुश नगर जनपद छतरपुर म0प्र0 हाल निवासी कल्याण सागर थाना कोतवाली नगर महोबा को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त दिनेश गुप्ता के कब्जे से 4.140 किलोग्राम, अभियुक्त अर्जुन साहू के कब्जे से 2,045 किलोग्राम एवं अभियुक्त अस्सू उर्फ अशोक रैकवार के कब्जे से 2.055 किलोग्राम, कुल 08 किलो 240 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 457/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. दिनेश गुप्ता पुत्र रमाशंकर गुप्ता उम्र 40 वर्ष निवासी मुहल्ला जारीगंज थाना कोतवाली नगर महोबा हाल निवासी पीली कोठी के सामने थाना कोतवाली नगर महोबा
2. अर्जुन साहू पुत्र दुलीचन्द्र साहू उम्र 42 वर्ष निवासी मुहल्ला आलमपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
3. अस्सू उर्फ अशोक रैकवार पुत्र ऊदल रैकवार उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम इटवा थाना लवकुश नगर जनपद छतरपुर म0प्र0 हाल निवासी कल्याण सागर थाना कोतवाली नगर महोबा

बरामदगी विवरण-

1. अभियुक्त दिनेश गुप्ता के कब्जे से 4140 ग्राम सूखा गांजा
2. अभियुक्त अर्जुन साहू के कब्जे से 2045 ग्राम सूखा गांजा
3. अभियुक्त अस्सू उर्फ अशोक रैकवार के कब्जे से 2055 ग्राम सूखा गांजा
4. कुल 08 किलो 240 ग्राम सूखा गांजा नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सनय कुमार, थाना कोतवाली नगर महोबा
2. उ0नि0 अभिषेक कुमार, थाना कोतवाली नगर महोबा
3. हे0का0 अजय कुमार, थाना कोतवाली नगर महोबा
4. का0 नरेन्द्र कुमार, थाना कोतवाली नगर महोबा

दिनांक- 17.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 744/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर-थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा जुआ खेलते हुए 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ₹7,715/- नगद व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अवैध जुआ/सट्टा में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा जुआ खेल रहे 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 सनय कुमार द्वारा मय हमराह पुलिस बल द्वारा आज दिनांक 17.09.2026 को वन विभाग के सामने, खाली पड़े निर्माणाधीन मकान, बहद मोहल्ला भटीपुरा में ताश के पत्तों से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे अभियुक्तगण 1. शिवनारायण पुत्र मुन्नीलाल सेन उम्र 32 वर्ष निवासी बीजानगर रोड सुभाषनगर, 2. मुकेश सोनी पुत्र श्रीप्रकाश सोनी उम्र 37 वर्ष निवासी मोहल्ला कस्बाथाई, 3. हसीब मोहम्मद पुत्र यूसुफ मनिहार उम्र 22 वर्ष निवासी मोहल्ला नयापुरा नैकाना, 4. पिकेंश साहू पुत्र अरविन्द साहू उम्र करीब 24 वर्ष निवासी कस्तूरबा विद्यालय के पास मोहल्ला भटीपुरा एवं 5. चांद मंसूरी पुत्र जहूर उम्र 28 वर्ष निवासी मोहल्ला समदनगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

मौके से फड़ पर ₹6,020/- नगद, अभियुक्तगण की जामा तलाशी से ₹1,695/- नगद एवं 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 458/2026 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

- ₹6,020/- मालफड़
- ₹1,695/- जामा तलाशी
- कुल ₹7,715/- नगद
- 52 अदद ताश के पत्ते

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सनय कुमार, थाना कोतवाली नगर महोबा
2.हे0का0 अजय कुमार, थाना कोतवाली नगर महोबा
3.का0 नरेन्द्र कुमार, थाना कोतवाली नगर महोबा

दिनांक- 17.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 745/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ - थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में अवैध शस्त्रों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 16.09.2026 को थाना कुलपहाड़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 मलखान सिंह मय हमराह उ0नि0 रमेश कान्त त्रिपाठी, कां0 प्रशान्त कुमार, कां0 सचिन कुमार एवं कां0 सुधाकर द्वारा 01 नफर अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र पन्नालाल राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बगवाहा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को ग्राम बगवाहा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 217/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

दीपक कुमार पुत्र पन्नालाल राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बगवाहा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 मलखान सिंह
2.उ0नि0 रमेश कान्त त्रिपाठी
3.कां0 प्रशान्त कुमार
4.कां0 सचिन कुमार
5.कां0 सुधाकर